न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई0ए0एस0
प्रकरण संख्या –94 / 2025 (अपील)
जीसीएमएस नं0 2025 / 146

विमला शर्मा पत्नी स्व0 मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मांदलिया तह0 लाडपुरा जिला कोटा राज0

–अपीलांट

बनाम

जिला रसद अधिकारी कोटा (प्रथम)

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राज. खाद्यान एवं आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 विरूद्व आदेश दिनांक 05.09.2025 आदेश कमांक / रसद / अभियोजन / 2025 / 109 प्रकरण संख्या 6 / 25 कार्यालय जिला रसद अधिकारी कोटा प्रथम

निर्णय

दिनांक–०६.01.2025

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा अपने प्रकरण संख्या 6 / 2025 आदेश दिनांक 05.09.2025 से अपीलांट विमला शर्मा, उचित मूल्य दुकानदार, पोस कोड 6688, प्राधिकार पत्र संव 674 / 2003 ग्राम पंचायत मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा द्वारा उचित मूल्य की दुकान को बंद रखना, माह मई 2025 में उपभोक्ताओं के अंगूठा लगवाकर पर्ची निकाल कर गेहूं नहीं देना, व भौतिक सत्यापन पर स्टॉक के मुकाबले गेहूं कम पाये जाने से सम्बन्धित अनियमितताएं की जाने से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र 674 / 2003 निरस्त किया गया है ।
2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 10.10.2025 को पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी प्रथम कोटा द्वारा अपीलांट विमला शर्मा का प्राधिकार पत्र संख्या 674 / 2003 को गलत रूप से गलत तथ्यों के आधार पर अपीलांट का उक्त प्राधिकार पत्र निरस्त करने में भरी त्रुटि की है । अपीलांट विमला शर्मा की उचित मूल्य दुकान पोस कोड–6688 ग्राम पंचायत मांदलिया तहसील लाडपुरा क्षैत्र के प्रवर्तन स्टाफ द्वारा दिनांक 16.6.2025 को निरीक्षण किया गया, उससे पूर्व क्षैत्र में अधिक वर्षा होने के कारण वक्त निरीक्षण उक्त गेहूं स्टॉक को अपीलांट द्वज्ञरा पानी में भीगने के कारण अपने भाई के मकान में सुरक्षा की दुष्टि से सुरक्षित रख दिया था । इसलिये वक्त निरीक्षण अपीलांट की उचित मूल्य की दुकान पर उक्त गेहूं नहीं मिला तथा अपीलांट के खिलाफ प्रवर्तन अधिकारी स्टॉफ द्वारा झूंठी रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत कर दी इसलिये उक्त आदेश कानूनन निरस्त होने योग्य है ।
3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । अप्रार्थी की ओर से बनवारीलाल नागर अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ । वकील अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत की । पेरोकार रसद एवं वकील अपीलांट की बहस सुनी गई ।
4. वकील अपीलांट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त अधिनियम के नियम 8(2) राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ आदेश 1976 के प्रावधानों के तहत सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही सीधा ही अपीलांट का लाईसेंस निरस्त करके प्रावधानों व नियमों का उल्लंघन करके न्याय के सर्वमान्य सिद्वांतों को दरकिनार करके उक्त आदेश दिया है जो न्याय के सिद्वांतों की पालना नहीं की है । अपीलांट एक विधवा महिला है जिसको रोजगार की दृष्टि के अध्य नजर रखते हुए अपीलांट को

उक्त उचित मूल्य की दुकान का लाईसेंस दिया था जिससे अपीलांट का पूरा परिवार का भरण पोषण हो रहा था लेकिन रसद अधिकारी द्वारा लाईसेंस निरस्त करके विधवा को रोजगार से वंचित कर दिया है जो राज्य सरकार की मंशा के विपरीत है । प्रावर्तन स्टाफ द्वारा जिस रोज निरीक्षण किया गया उससे पूर्व क्षैत्र में अधिक वर्षा होने के कारण वक्त निरीक्षण उक्त गेहूं स्टॉक को अपीलांट के द्वारा पानी में भीगने के कारण अपने भाई के मकान में सुरक्षा के लिए सुरक्षित रख दिया था तथा प्रवर्तन स्टाफ द्वारा गलत व झूंठी रिपोर्ट बनाकर प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की है जो न्याय के विरूद्व है । अपीलांट द्वारा प्रवर्तन स्टाफ को वास्तविक बात बताई, लेकिन अपीलांट की बात पर स्टाफ द्वारा किसी भी तरह का गौर नहीं किया न अपीलांट की कोई बात सुनी, जबकि अपीलांट द्वारा किसी भी तरह का कोई अनाधिकृत उपयोग /दुरूपयोग गबन नहीं किया है लेकिन फिर भी अपीलांट के उपर निराधर व झूंठे तथ्यों के आधार पर उक्त आरोप लगाकर अपीलांट का उक्त लाईसेंस निरस्त करके न्याय के सर्वमान्य सिद्वांतों की अवहेलना की है । अपीलांट ने प्रवर्तन स्टाफ के द्वारा कहने के बाद उचित समय से अंदर अदर उक्त संपूर्ण स्टॉक गेहं को मनोज कुमार उचित मूल्य दुकानदार को नियमानुसार संभला दिया था फिर भी अपीलांट को अवैध रूप से आरोप गलत व अवैध रूप से लगाकर गबन का आरोप लगाकर उक्त लाईसेंस निरस्त करके अधिनियम के नियम में प्रावधानों के प्रतिकूल आदेश देकर त्रुटिपूर्ण कार्य किया है । अपीलांट द्वारा नियमानुसार गेहूं का वितरण किया गया था तथा हमेशा अपीलांट ने नियम व कानून के अनुरूप हमेशा गेहूं का वितरण किया जाता था लेकिन फिर भी अपीलांट के विपरीत उक्त मनगढंत झूंठी रिपोर्ट देकर अपीलांट का लाईसेंस निरस्त किया है जो कानूनन नियम व प्रावधानों के विपरीत होने से उक्त आदेश निरस्त होने योग्य है । अपीलांट निर्दोष है तथा अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार कोई अनाधिकृत दुरूपयोग /उपयोग नहीं किया है । इसलिए कानूनन अपीलांट का लाईसेंस वापस बहाल किये जाने योग्य है । अतः अपीलांट का उक्त लाईसेंस वापस बहाल किये जाने के आदेश फरमावें ।

5. पेरोकार रसद द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट विमला शर्मा उचित मूल्य दुकान उचित मूल्य दुकानदार, पोस कोड 6688, प्राधिकार पत्र संव 674/2003 ग्राम पंचायत मांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा द्वारा उचित मूल्यकी दुकान को बंद रखना, माह मई 2025 में उपभोक्ताओं के अंगूठा लगवाकर पर्ची निकाल कर गेहूं नहीं देना, व भौतिक सत्यापन पर स्टॉक के मुकाबले गेहूं कम पाये जाने से सम्बन्धित अनियमितताएं की जाने की शिकायत राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त होने पर शिकायत की जांच की गई प्रवर्तन निरीक्षण द्वारा उक्त उचित मूल्य दुकान का दिनांक 16.6.2025 को जांच में पाया है कि वक्त निरीक्षण दिनांक 16.6.2025 दोपहर 3.30 बजे पर उचित मूल्य दुकान बंद पाई गई तथा दूरभाष पर सम्पर्क करने के बाद दुकान खोली गई, दुकान को बंद रखने के सम्बन्ध में दुकानदार द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई । माह मई 2025 में अंगूठा लगवाकर पर्ची निकाल ली परन्तु उन्हें गेहूं नहीं दिया गया । पर्ची पर गेहूं की मात्रा लिखकर पर्ची दे दी गई एवं कहा कि गेहूं बाद में ले जाना इस प्रकार लगभग 70–100 उपभोक्ता पर्ची के साथ दौराने जांच उपस्थित हुए जिन्हें गेहूं उपलब्ध करवाया गया । वक्त निरीक्षण अपीलांट की एफ पी एस 6688 की पोस मशीन में अंकित /दर्ज स्टॉक 23676.14 किलोग्राम का उचित मूल्य दुकान परिसर में भोतिक सत्यापन करने पर 16865.14 + 6811.00 कुल 23676.14 किलोग्राम गेहूं (236.14 क्विं.) की मात्र होना चाहिये था जिसमें से 121.05 क्विंटल गेहूं ज्यादा चढा होना चाहिए था परन्तु भोतिक रूप से लगभग 60 क्विंटल गेहूं ही मिला जिसमें भी माह मई 2025 का गेहूं उपभोक्ताओं को देना बाकी है जिनकी पर्ची निकाली हुई है । ज्यादा चढे हुए गेहूं को घटाने के बाद भी 115.71 क्विंटल शेष रहना चाहिए था किन्तु मौके पर 60 क्विंटल ही शेष था, कुछ उपभोक्ताओं की पर्ची कटी हुई थी किन्तु गेहूं नहीं दिये गये इस प्रकार कुल 75.51 क्विंटल गेहूं का गबन पाया गया है । इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अपीलांट उचित मूल्य दुकानदार द्वारा एन.एफ.एस.ए. लाभार्थियों को गेहूं वितरण नहीं किया जाकर राज्य सरकार द्वारा गरीब उपभोक्ताओं को अनुदानित राशि /निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न का दुरूपयोग किया गया है । अपीलांट ने अपील स्वीकार करने के कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किये है जिस आधार पर अपील स्वीकार की जा सकें । अतः अपीलांट द्वारा उपरोक्त अनियमितताएं कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के

भाग–II की धारा 6 के निबंधन एवं शर्त संख्या 5,7,9,11,17 (सी) का उल्लंघन होने अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा अपने प्रकरण संख्या 6/2025 आदेश दिनांक 05.09.2025 से अपीलांट विमला शर्मा, उचित मूल्य दुकानदार, पोस कोड 6688, प्राधिकार पत्र संख 674/2003 ग्राम पंचायत नांदलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा द्वारा उचित मूल्य की दुकान को बंद रखना, माह मई 2025 में उपभोक्ताओं के अंगूठा लगवाकर पर्ची निकाल कर गेहूं नहीं देना, व भौतिक सत्यापन पर स्टॉक के मुकाबले गेहूं कम पाये जाने से सम्बन्धित अनियमितताएं की जाने से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र 674/2003 निरस्त किया जाने पर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर उन पर लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है एवं तर्क दिया है कि प्रवर्तन स्टाफ द्वारा जिस रोज निरीक्षण किया गया उससे पूर्व क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण वक्त निरीक्षण उक्त गेहूं स्टॉक को अपीलांट के द्वारा पानी में भीगने के कारण अपने भाई के मकान में सुरक्षा के लिए सुरक्षित रख दिया था तथा प्रवर्तन स्टाफ द्वारा गलत व झूंठी रिपोर्ट बनाकर प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की है जो न्याय के विरुद्ध है । अपीलांट द्वारा प्रवर्तन स्टाफ को वास्तविक बात बताई, लेकिन अपीलांट की बात पर स्टाफ द्वारा किसी भी तरह का गौर नहीं किया न अपीलांट की कोई बात सुनी, जबकि अपीलांट द्वारा किसी भी तरह का कोई अनाधिकृत उपयोग /दुरुपयोग गबन नहीं किया है । इसके विपरीत पेरोकार सरकार की बहस एवं पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर आया है कि अपीलांट द्वारा माह मई 2025 में उपभोक्ताओं के अंगूठा लगवाकर पर्ची निकाल ली परन्तु उन्हें गेहूं नहीं दिया गया । पर्ची पर गेहूं की मात्रा लिखकर पर्ची दे दी गई साथ ही मौके पर भौतिक सत्यापन पर पोस मशीन में वक्त निरीक्षण अंकित /दर्ज स्टॉक 23676.14 किलोग्राम का उचित मूल्य दुकान परिसर में भौतिक सत्यापन करने पर 16865.14 + 6811.00 कुल 23676.14 किलोग्राम गेहूं (236.14 क्विं.) की मात्र होना चाहिये था जिसमें से 121.05 क्विंटल गेहूं ज्यादा चढा हुआ था परन्तु भौतिक रूप से लगभग 60 क्विंटल गेहूं ही मिला जिसमें भी माह मई 2025 का गेहूं उपभोक्ताओं को देना बाकी है जिनकी पर्ची निकाली हुई है । ज्यादा चढे हुए गेहूं को घटाने के बाद भी 115.71 क्विंटल शेष रहना चाहिए था किन्तु मौके पर 60 क्विंटल ही शेष था, कुछ उपभोक्ताओं की पर्ची कटी हुई थी किन्तु गेहूं नहीं दिये गये इस प्रकार कुल 75.51 क्विंटल गेहूं का गबन पाया गया है जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के भाग–II की धारा 6 के निबंधन एवं शर्त संख्या 5,7,9,11,17 (सी) का स्पष्ट उल्लंघन है । ऐसी स्थिति में जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलांट उचित मूल्य दुकानदार का लाईसेंस आदेश दिनांक 5.9.2025 में उचित होने से अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।

7. परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार करने के ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.09.2025 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है ।

8. निर्णय आज दिनांक 06.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा